न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

नामांतरण अपील वाद संख्या– 01/2014–15

भरत प्रसाद उर्फ भरत मोदी –बनाम्– झारखण्ड राज्य सरकार एवं संजय कुमार वर्णवाल

11

–:आदेश:–

अनुसूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
05/11/19	प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अपीलार्थी भरत प्रसाद उर्फ भरत मोदी पिता–स्व0 छोटु प्रसाद वर्णवाल, सा0–अभिमन्यु नगर चास, पो0+थाना–चास, जिला–बोकारो के द्वारा अंचल अधिकारी, चास के दाखिल खारिज वाद संख्या 3053(iii)/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2012 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपील वाद दायर किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।	

विवादित भूमि				
मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
चास	30	68	7014, 7014/7913	0.42 डी0

प्रथम पक्ष अपने अपील आवेदन/लिखित बहस में उल्लेख किये है कि श्रीमती गणेशी देवी पति–स्व0 छोटु प्रसाद वर्णवाल द्वारा केवाला संख्या–1810 दिनांक 17.02.1985 से मौजा–चास, थाना नं0–30, खाता नं0–68, प्लॉट नं0–7014 रकवा 02½ डी0 भूमि युवराज प्रसाद पाण्डेय से खरीद कर एवं तीन मंजिला मकान बनाकर दखलकार है। श्रीमती गणेशी देवी को छः पुत्र 1. चन्द्रिका प्रसाद 2. मनीलाल प्रसाद 3. लक्ष्मण प्रसाद 4. सुखदेव प्रसाद 5. विनोद प्रसाद एवं 6. भरत प्रसाद हुए। उक्त तीन मंजिला मकान का आपसी सहमति से बंटवारा किया गया परन्तु संजय कुमार वर्णवाल पिता–स्व0 मनीलाल प्रसाद वर्णवाल ने गणेशी देवी से केवाला संख्या–7725 दिनांक 21.11.2012 से रकवा 0.42 डी0 भूमि निबंधन करा लिया गया एवं उक्त दस्तावेज के आधार पर अंचल कार्यालय, चास से दाखिल खारिज सं0–3053(iii)/2012–13 से करवा लिया गया जो गलत है। इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि द्वितीय पक्ष द्वारा बनाया गया केवाला में अंकित राशि का भुगतान भी विक्रेता को नहीं किया गया है। अंत में इनके द्वारा द्वितीय पक्ष के दाखिल खारिज को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपने आपत्ति आवेदन में उल्लेख किया है कि यह वाद चलने योग्य नहीं है तथा कालबाधित हो चुका है। अपीलार्थी एवं विपक्षी के पिता भाई है। गणेशी देवी द्वारा केवाला संख्या–1810 दिनांक 27.02.1985 से खरीदा गया भूमि रकवा 02½ डी0 भूमि पर तीन मंजिला मकान बना हुआ है। श्रीमती गणेशी देवी द्वारा शंभु प्रसाद वर्णवाल को केवाला सं0–3712 दिनांक 30.05.2012 से रकवा 1.25 डी0 भूमि बिक्री किया गया। पुनः गणेशी देवी द्वारा केवाला संख्या–7725 दिनांक 21.11.2012 से रकवा 0.42 डी0 भूमि संजय प्रसाद वर्णवाल को बिक्री किया गया। साथ ही केवाला संख्या–4046 दिनांक

अनुसूची 14–फारम सं0 563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	
	08.07.2013 से गणेशी देवी द्वारा ही रकवा 0.46 डी0 भूमि भरत मोदी को बिक्री किया गया जिसका अपीलार्थी द्वारा दाखिल खारिज सं0–378(iii)/2013–14 से दाखिल खारिज करवाया गया है। अपीलर्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर वर्तमान वाद संधारित करवाया गया है। अंत में इनके द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।
	इस संबंध में अंचल अधिकारी, चास द्वारा कार्यालय पत्रांक 1033 दिनांक 22.06.2017 से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रकवा 0.02½ एकड़ में से पु0–प0 आधा भाग पर बड़े भाई श्री चंद्रिका प्रसाद के पुत्र शंभू प्रसाद का दखल कब्जा है जिसपर दो तल्ला मकान अवस्थित है। शेष आधा भाग में तीन भाई 1. स्व0 मनीलाल प्रसाद के संजय वर्णवाल 2. सुखदेव प्रसाद एवं 3. भरत मोदी का दखल कब्जा है। आधे भाग पर दो–दो कमरा के तीन तल्ला मकान अवस्थित है जिसमें से नीचे के दो कमरा में दुकान अवस्थित है जिसे भाड़ादार श्रवण कुमार वर्णवाल पिता–नन्द किशोर लाल द्वारा चलाया जाता है। इनके द्वारा बताया गया है कि यह दुकान दो कमरे का है जिसमें आगे कमरे का भरत मोदी को एवं पीछे कमरे का भाड़ा सुखदेव प्रसाद को देते है। इस प्रकार आगे के कमरे का स्वामित्व भरत मोदी एवं पीछे के कमरे का स्वामित्व सुखदेव प्रसाद के पास है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रकवा 0.02½ एकड़ भूमि पर 02 पार्ट में तीन तल्ला में तीन भाईयों 1. चन्द्रिका प्रसाद 2. लक्ष्मण प्रसाद 3. बिनोद प्रसाद के हिस्से की भूमि को इन लोगों की माता गणेशी देवी द्वारा बड़े भाई के पुत्र को बिक्री किया किया जिसपर इनका दखल कब्जा है। शेष आधा भाग पर आवेदक भरत प्रसाद एवं विपक्षी सुखदेव प्रसाद एवं संजय प्रसाद का दखल कब्जा है। इस मकान में उपर जाने के लिए सीढ़ी अवस्थित है जिसपर सभी का सम्मिलित अधिकार में है एवं समान रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है।
	उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना, इनके द्वारा दाखिल लिखित बहस, राजस्व कागजातों एवं अंचल अधिकारी, चास के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रकवा 0.02½ एकड़ भूमि पर मकान बना हुआ है जिसपर आपसी बंटवारा के तहत सभी हिस्सेदार किसी न किसी रूप में दखलकार है। विवाद का मूल कारण स्वत्व से संबंधित है जिसका निपटारा इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। स्वत्व निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है। इसी आधार के [illegible] जाती है।
	लेखापित एवं संशोधित।
	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.18 19:02:56 +05:30
Location: 192.168.1.42